न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 635 सन 2020
अनवान :–

1. विक्रम पुत्र शुभकरण जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामनिवास पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. राधेश्याम पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. सुरेन्द्र पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. हरिसिह पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. कैलाश पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
7. भोजुकुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
8. गोरीशंकर पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
9. राकेश पुत्री मोतीराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
10. ओमप्रकाश पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
11. अजय पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
12. चन्दो पत्नी स्व डुगरराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
13. सुरेश पुत्र डुगरराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
14. गोहनी पुत्री डुगरराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
15. अनुसूईया पुत्री डुगरराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
16. बीरमन्ती पुत्री डुगरराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
17. गोमती पत्नी स्व मनफुल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
18. रणजीत पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
19. भूपसिह पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
20. सुशील पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
21. रेशमी पत्नी स्व जयसिह जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
22. बलराम पुत्र जयसिह जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
23. अशोक पुत्र जयसिह जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
24. गिरदावरी पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
25. शुभकरण पुत्र पतराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
26. अंकिता पुत्री शुभकरण जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 03/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 269/83 की कुल 16.3520हैक में से मृतक केशर के नाम 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

वाद भूमि वादी की पूर्वज केशर पत्नी गणपत के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया जेठाराम , बेगाराम, डुगर, मनफुल पतराम , लिछमा , श्योकारी , बाधो , चिडिया हुए जिनमें से जेठाराम , बेगाराम, डुगर, मनफुल पतराम का देहान्त हो चुका है तथा जेठाराम के एक पुत्र रामनिवास का भी देहान्त हो चुका है इसीप्रकार बेगाराम के एक पुत्र इन्द्राज का देहान्त हो चुका है इसप्रकार केशर के एवं उनके पुत्र/पुत्रीयो एवं उनके पुत्रों के देहान्त होने के बाद वर्तमान में जीवित वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

मृतक केशर के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 है जो मृतक केशर के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,12 ,14 ता 17 ,21 ,24 ,26 जो प्रतिवादीगण की बहने/माताओ/ताउ/चाचां ने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाईयों /पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 ,13 ,18 ता 20 ,22 ,23 ,25 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 ,13 ,18 ,20 ,23 ,25 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की मृतक केशर के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 ,13 ,18 ,20 ,22 ,23 ,25 आपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 ने निवेदन किया की वादी भूमि उनके पूर्वज केशर पत्नी गणपत के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 जो वाद भूमि के हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,12 ,14 ता 17 ,21 ,24 , 26 ने निवेदन किया की उन्होने वाद भूमि में अपने हक हिस्सा का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 ,13 ,18 ता 20 ,22 ,23 ,25 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 ,13 ,18 ता 20 ,22 ,23 ,25 क हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा पेश किया जो शमिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 27 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बडविराना के खाता संख्या 269/83 की कुल 16.3520हैक्ट में से मृतक केशर के नाम 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

वाद भूमि वादी की पूर्वज केशर पत्नी गणपत के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया जेठाराम , बेगाराम, डुगर, मनफुल पतराम , लिछमा , श्योकारी , बाधो , चिडिया हुए जिनमें से जेठाराम , बेगाराम, डुगर, मनफुल पतराम का देहान्त हो चुका है तथा जेठाराम के एक पुत्र रामनिवास का भी देहान्त हो चुका है इसीप्रकार बेगाराम के एक पुत्र इन्द्राज का देहान्त हो चुका है इसप्रकार केशर के एवं उनके पुत्र/पुत्रीयो एवं उनके पुत्रों के देहान्त होने के बाद वर्तमान में जीवित वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 है।

मृतक केशर के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 है जो मृतक केशर के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,12 ,14 ता 17 ,21 ,24 ,26 जो प्रतिवादीगण की बहने/माताओ/ताउ/चाचां ने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाईयों /पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 ,13 ,18 ता 20 ,22 ,23 ,25 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 ,13 ,18 ,20 ,23 ,25 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई / पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरतारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 269 / 83 की कुल 16.3520हैक्ट में से मृतक केशर के नाम 1 / 6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

वादी का कथन है वाद भूमि वादी के पूर्वज केशर पत्नी गणपतराम क नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 है जो मृतक केशर के हक हिस्सा की भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,12 ,14 ता 17 ,21 ,24 ,26 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,14 ता 17 ,21 ,24 ,26 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 ,13 ,18 ता 20 ,22 ,23 ,25 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,14 ता 17 ,21 ,24 ,26 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 269 / 83 की कुल 16.3520हैक्ट में से मृतक केशर के नाम 1 / 6 हिस्सा भूमि दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 25 का बहिब 1 / 2 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 का 1 / 96 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 ,7 का बहिब 1 / 96 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 ,9 का बहिब 1 / 96 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 10 ,11 बहिब 1 / 96 हिस्सा , व प्रतिवादी संख्या 13 का 1 / 24 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 19 का 1 / 96 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 20 का 1 / 96 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 22 ,23 का बहिब1 / 96 हिस्सा के खातेदार काश्तकार होगे एवं शुभकरण के नाम दर्ज 1 / 6 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 25 बहिब के खातेदार काश्तकार होगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. विक्रम पुत्र शुभकरण जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम

1 रामनिवास पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. राधेश्याम पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. सुरेन्द्र पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. हरिसिह पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. कैलाश पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
7. भोजुकुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
8. गोरीशंकर पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
9. राकेश पुत्री मोतीराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
10. ओमप्रकाश पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
11. अजय पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
12. चन्दो पत्नी स्व डुगरराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
13. सुरेश पुत्र डुगरराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
14. मोहनी पुत्री डुगरराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
15. अनुसूईया पुत्री डुगरराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
16. बीरमन्ती पुत्री डुगरराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
17. गोमती पत्नी स्व मनफुल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
18. रणजीत पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
19. भूपसिह पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
20. सुशील पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
21. रेशमी पत्नी स्व जयसिह जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
22. बलराम पुत्र जयसिह जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
23. अशोक पुत्र जयसिह जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
24. गिरदावरी पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
25. शुभकरण पुत्र पतराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
26. अंकिता पुत्री शुभकरण जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 635 सन 2020 निर्णय दिनांक– 03/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 269/83 की कुल 16.3520हैक्ट में से मृतक केशर के नाम 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 25 का बहिब 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/96 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 ,7 का बहिब 1/96 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 ,9 का बहिब 1/96 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 ,11 बहिब 1/96 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 13 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 19 का 1/96 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 20 का 1/96 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 22 ,23 का बहिब1/96 हिस्सा के खातेदार काश्तकार होगे एवं शुभकरण के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 25 बहिब के खातेदार काश्तकार होगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 3/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

संशोधित पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. विक्रम पुत्र शुभकरण जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 रामनिवास पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. राधेश्याम पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. सुरेन्द्र पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. हरिसिह पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. कैलाश पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
7. भोजुकुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
8. गोरीशंकर पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
9. राकेश पुत्री मोतीराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
10. ओमप्रकाश पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
11. अजय पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
12. चन्दो पत्नी स्व डुगरराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
13. सुरेश पुत्र डुगरराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
14. मोहनी पुत्री डुगरराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
15. अनुसूईया पुत्री डुगरराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
16. वीरमन्ती पुत्री डुगरराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
17. गोमती पत्नी स्व मनफुल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
18. रणजीत पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
19. भूपसिह पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
20. सुशील पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
21. रेशमी पत्नी स्व जयसिह जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
22. बलराम पुत्र जयसिह जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
23. अशोक पुत्र जयसिह जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
24. गिरदावरी पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
25. शुभकरण पुत्र पतराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
26. अंकिता पुत्री शुभकरण जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 635 सन 2020 निर्णय दिनांक– 17/3/2021

आज यह प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है कि पूर्व पर्चा डिक्री दिनांक 03.03.2021 में प्रतिवादी संख्या 13 का नाम सुरेश एव प्रतिवादी संख्या 20 का नाम सुशील एवं प्रतिवादी संख्या 18 का हिस्सा अंकित नही है व प्रतिवादी संख्या 19 का 1/96, 20/ का 1/96 ,22 ,23 का 1/96 हिस्सा अंकित है के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 13 का नाम सुरेन्द्र प्रतिवादी संख्या 20 का नाम सुशीला पुत्री एवं प्रतिवादी संख्या 18 का 1/72 ,19 का 1/72 ,22 , 23 का 1/72 हिस्सा संशोधित किया जाता है शेष डिक्री यथावत रहेगी व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/3/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner